International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 04(III), October - December, 2025, pp. 208-212

नारी सशक्तिकरण में चुनौतियों की दार्शनिक भूमिका

डॉ. विद्या विपुल शर्मा*

दर्शनशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

*Corresponding Author: vidhyadarshan@yahoo.com

Citation: शर्मा, विद्या (2025). नारी सशक्तिकरण में चुनौतियों की दार्शनिक भूमिका. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(04(III)), 208–212.

सार

आधुनिक युग में मानव समाज ने कला, विज्ञान, तकनीक के क्षेत्र में बेहतर उन्नति की है। मानव जीवन का स्तर उन्नत हुआ है, सुख और समृद्धि के साधन बड़े हैं, रहन–सहन में व्यापक बदलाव आया है। उन्नति और प्रगति की इस भाग दौड़ में महिला वर्ग ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं जिसमें महिलाओं की स्थिति में गांव और शहर में परिवर्तन आए हैं और काफी संतोषजनक परिणाम सामने परिलक्षित है। महिलाओं में शिक्षा अब बढ़ रही है। आज की महिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, चिकित्सा, उद्योग, कला और संगीत के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति और खेल के क्षेत्र में व इत्यादि अन्य जगह ख्याति अर्जित कर रही हैं। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की ओर महिलाओं ने रूख किया है।

शब्दकोशः *नारी सशक्तिकरण, आधुनिक युग, मानव समाज, उद्योग, कला, संगीत।*

प्रस्तावना

आज की महिला अध्यापिका, चिकित्सक, ऑफिसर और महत्वपूर्ण उच्चतम पदों पर आसीन है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महिलाओं की प्रगति और उन्नति का साक्षात उच्चतम शिखर है। नारी की उन्नति और सम्मान का यह रूप बहुत ही मनमोहन और आकर्षक है, किंतु यह महिला वर्ग का एक बहुत छोटा भाग है, तथा सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसकी तस्वीर कुछ अलग ही है। देश में महिला सशक्तिकरण के ऊपर संगोष्ठियाँ हो रही हैं, व्याख्यानमालाएं हो रही है और अधिवेशन भी बुलाए जा रहे हैं जिससे प्रतीत होता है कि वर्तमान सदी का यह एक ज्वलंत प्रश्न है। महिला की स्थिति में सुधार और उसके शक्तिकरण के विषय में संपूर्ण विश्व में चिंतन, मनन और जागरूकता अभियान चलाएं जाना यह प्रदर्शित करता है कि देश में महिलाओं की स्थिति अभी अत्यंत सोचनीय है। वह अभी भी शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचित है।

यह भारतीय समाज की अजीब विडंबना है कि यहां बौद्धिकता के छद्म आवरण में छुपी भावनाओं को तो शीर्ष स्थान पर स्थापित किया जाता है लेकिन यथार्थ में बौद्धिकता को त्याज्य घोषित किया गया। भारत जैसे देश में स्थिति और भी खराब है। हर वर्ग, हर समाज में इन महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति अत्यंत सोचनीय एवं चिंताजनक है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। वैदिक काल से लेकर आज तक महिला की स्थिति में किस तरह के बदलाव हुए यह भी देखना अति आवश्यक है।

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

वैदिक काल में नर और नारी की स्थिति में सामंती नारियों को समाज में आदर की दृष्टि से देखते थे। उनकी स्वयं की अस्मिता थी, शिक्षा के समान अवसर थे और यज्ञ आदि कर्म में नर और नारी एक साथ मिलकर भाग लेते थे। ऋग्वेद में सरस्वती, अपाला, इंद्राणी, लोपा मुद्रा आदि मंत्र दृष्टि नारियाँ थी। उत्तर वैदिक काल के पश्चात समाज धीरे–धीरे पुरुष प्रधान होता चला गया नारी की आजादी एवं उसकी भूमिका समाज विकास में कम होती गई। मनुस्मृति में नारियों के संबंध मैं कहा गया–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।"

यह श्लोक मनुस्मृति के तीसरे अध्याय से है जिसमें यह कहा गया है कि जहां–जहां नारियों की पूजा होती है उनका आदर सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं तथा जहां नारियों का सम्मान नहीं होता वहां पर हर कर्म निष्फल है। अथर्ववेद में पुत्र को यह समझाया गया की माता का सम्मान करें "माता भवतु सम्माना"।

मुगल काल में भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत खराब रही, उस पर अत्यंत गंभीर प्रतिबंध लगाए गए और अनेक अधिकारों से वंचित भी किया गया। उन्हें शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। नारी परतंत्र थी, निर्बल थी, शोषित थी और आर्थिक अधिकारों से वंचित थी। इसके बाद भारतीय समाज सुधारको ने नारियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाई जिनमें राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, रमाबाई रानाडे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी विवेकानंद आदि का नाम महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आधी आबादी महिलाओं की है और यह बात सत्य है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पुरुषों की भाँति महिलाएं अपनी शक्ति मेधा और क्षमता का परचम फहरा रही हैं। परंतु इस आधी आबादी का एक तबका दयनीय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। नारी सशक्तिकरण की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि महिलाओं को आज जिस मुकाम पर होना चाहिए था वहां नहीं हैं।

"वैधव्य" विधवापन जीवन की सबसे नकारात्मक घटनाओं में से एक है जिसमें जीवनसाथी को हमेशा के लिए खोने जैसे मानसिक आघात के साथ ही असंख्य आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा मनोवैज्ञानिक तनाव से पीड़ित विधवा महिलाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अवसाद चिंतन से घिरी इन महिलाओं की दशा अत्यंत निराशाजनक एवं चिंतनीय है।

भारत में 5 करोड़ से अधिक विधवा महिलाएं हैं। यह दक्षिणी अफ्रीका व तंजानिया जैसे देशों की आबादी के लगभग बराबर है। विधवाओं की संख्या दक्षिणी कोरिया और म्यांमार की कुल आबादी से ज्यादा है। विकासशील देशों के गणना के आंकड़ों में इन महिलाओं की दुखद रूप से अनुपस्थिति है और अनेकों वर्षों की गरीबी, विकास, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रिपोर्टों में इन महिलाओं का उल्लेख तक नहीं है। वैदिक युगीन समय में विधवा महिलाओं का इस तरह का जीवन नहीं था वरन वह समस्त सुविधाओं का उपयोग करती थी। विधवा का पुनर्विवाह आदरणीय दृष्टि से देखा जाता था। विधवा को अशुभ या पापी नहीं मानते थे। इसका प्रमाण रामायण के इसी प्रसंग में मिलता है की राजतिलक पर राम को उनकी विधवा माताओं ने ही सजाया था। महाभारत में कुंती ने द्रौपदी के विवाह पर आशीर्वाद दिया था। साधारणतः महिलाएं पति के मृत्यु पर विलाप करती थी, क्रिया कर्म के बाद महिलाएं तर्पण भी करती थी किंतु क्षत्राणियाँ रणक्षेत्र में पति के वीरगति प्राप्त करने पर संयमित रहती थी। महिला शवयात्रा में भाग लेती थी तथा क्रिया कर्म के बाद महिलाएं तर्पण करती थी। परंतु तत्पश्चात समाज में विधवाओं के प्रति प्रतिकूल भावना बढ़ती गई और उनकी स्थिति चिंताजनक एवं यातनामयी हो गई।

संयुक्त हिंदू परिवार में पति ही महिला का प्रमुख आश्रय होता है उसकी मृत्यु के पश्चात पति के मृत्यु के दुख में महिलाओं को जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पति की मृत्यु के पश्चात परिवार के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं सहती है। पति की मृत्यु के बाद जीवन का अधिकार तो है परंतु जीवन जीने के पर्याप्त साधन नहीं है। विधवा महिलाओं को खाने–पहनने तक को पूरा नहीं दिया जाता और दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। समाज और घरवालों के ताने सुनना, प्रत्येक अशुभ घटना का संबंध उसकी उपस्थिति से लगाया जाना एवं शुभ कार्यों के समय उसकी उपस्थिति को अपशगुन माना जाना, विधवा होते ही एक स्त्री को जीवन के सभी

प्रकार के सुखों से वंचित कर देना और उसे आत्म संयम जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाना। यह अभावमय और दुखमयी जीवन यात्रा अत्यंत कठिन है। हिंदू विवाह के पश्चात विधवा होने पर होने वाली समस्याएं विधवा जीवन की स्थिति को बयां करती है।

भारत में हिंदू विवाह के पश्चात होने वाली समस्याओं में विधवाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर रही है। पति की मृत्यु पश्चात स्त्री को जीवित रहते हुए लगभग मृतक के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बाल विवाह होने के कारण अनेक कन्याएं बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाया करती थी एवं जो वैधव्य का अर्थ भी नहीं जानती उनको संपूर्ण जीवन में विधवा का जीवन बिताने को मजबूर किया जाता है । हिंदू समाज में विधवा के लिए सामान्य वस्त्र, श्रृंगार एवं उसके साथ–साथ सर के बाल तक के लिए वंचित रखा गया था। 1937 के पूर्व तक तो विधवा को अपने पति की संपत्ति मैं हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था। इससे यह प्रतीत होता है कि हिंदू समाज में विधवा की स्थिति कितनी निम्न, दयनीय एवं अमानवीय है।

विधवा माँ बच्चों की पढ़ाइ–लिखाई से लेकर उनके स्वास्थ्य जरूरतों के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके विवाह तक की जिम्मेदारी भी अकेले निभाती है। पिता की कमी को भी उसे ही पूरा करना होता है। अकेली स्त्री न केवल अपने बच्चों की परवरिश करती है, जिसमें उनकी सहायता भी कोई नहीं करता है, साथ ही अपने एवं परिवार के समस्त सदस्यों का ध्यान रखना उनके कार्य करते रहना विधवा महिलाओं की हर दिन की दिनचर्या है।

विकासशील देशों में महिलाओं की यथार्थ दशा भारतीय समाज में विधवा महिला के संदर्भ में अत्यंत सोचनीय है। आर्थिक संपन्नता, आरक्षण, नौकरी के अवसर एवं उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में चुनिंदा आगे बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व विधवा महिलाओं की दशा पर पर्दा नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में आर्थिक आजादी विधवा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज भी पिछड़े इलाकों एवं ग्रामीण जगह पर माता–पिता अपनी बेटियों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा दिलाने में अभिरुचि नहीं दिखाते। वैवाहिक संबंधों में आने वाली रूकावटों के संभावित आशंकाओं के कारण उच्च शिक्षा से वंचित बालिकाएं अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने तथा स्वावलंबी बनने से रह जाती हैं। महिला सशक्तिकरण में यह अत्यंत गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती है। ऐसी स्थिति में यह महिलाएं विवाह के पश्चात विधवा हो जाती हैं एवं आर्थिक रूप से बहुत ही दयनीय स्थिति में रहती हैं क्योंकि महिलाएं पूर्णतः आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर रहती हैं। यह दशा अत्यंत चिंतनीय है।

समाज में विधवा नारी अशुभ समझी जाती है। पति की मृत्यु का दोष उसके भाग्य को दिया जाता है। ना वह पिता के घर लौट सकती है और ना ही ससुराल वाले ही उसे आश्रय देते हैं। विधवा विवाह के समर्थन में अनेक कानून बने परंतु उनसे नारी समाज को अधिक लाभ नहीं हुआ है। बेसहारा विधवा पहले भी अक्सर विधवा आश्रम पहुंचा दी जाती थी और आज भी बहुत सी विधवाएं यहां–वहां भटक रही हैं। अमूमन ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें अधिक उम्र की कमजोर अवस्था की विधवा महिलाओं को उनके बेटे–पोते किसी घटिया वृद्ध आश्रम, तीर्थ स्थल में छोड़कर चले जाते हैं। उनकी दशा अत्यंत तड़पाने वाली है। बुढ़ापे में जब इंसान अपनों का मोहताज होता है तब यह अकेली विधवा महिलाएं भीख मांग कर घाट और सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। इन आश्रमों में भी विधवाओं की स्थिति दुखद है। उन्हें शोषण और उत्पीड़ित करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। समाज द्वारा इन विधवा महिलाओं और उनके क्रियाकलापों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं और विरासती अधिकारों का भेदभाव पूर्ण असर एवं परिजनों द्वारा उपेक्षा तथा उत्पीड़न का शिकार यह महिलाएं संपत्ति संबंधी विवादों में अक्सर यह विधवा महिलाएं न्यायालय के चक्कर लगाती हुई नजर आती हैं। इन महिलाओं को समाज और स्थानीय समुदाय और परिवार नजर अंदाज ही करता है। विधवा महिला की स्थिति शरणार्थी जैसी हो जाती हैं। कई बार उन्हें संपत्ति से बेदखल कर मायके में भेज दिया जाता है और शादी के बाद जब वही पुत्री मायके में रहने जाती है तो उससे परायों जैसा व्यवहार होता है। वह भविष्य में कभी वहां की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग लेगी इसलिए भाई, यहां तक की अपने माता–पिता द्वारा भी तिरस्कार की शिकार होती हैं, ठुकराई जाती हैं। आय, शिक्षा, मृत्यु दर,

रुग्णता दर, स्वास्थ्य, हिंसा, राजनीतिक सहभागिता, पानी व साफ–सफाई तक पहुंच के सभी मामलों में महिलाओं को अपनी कंधों पर अधिक बोझ वहन करना पड़ता है। आज की दशा में ऐसी महिलाएं न अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित है ना बाहर सड़कों पर। यह विधवा महिलाएं घर परिवार का काम, कामकाज के सिलसिले में बाहर जाने के कारण घर और दफ्तर संभालने के बावजूद स्वयं पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हैं। परिणाम स्वरूप, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इन महिलाओं को शिकार बना लेती है। किसी सरकारी कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सरकार द्वारा परिवार पेंशन मिलने में अनेक सरकारी उलझनों में सालों निकल जाते हैं। कार्यालयों एवं न्यायालय के चक्कर में वह विधवा महिला पिसती जाती है। इसमें उसे कोई मार्गदर्शन भी नहीं देता है। सरकारी कार्यालयों के कठिन प्रक्रियाओं मैं वह उलझ कर रह जाती है। फल स्वरूप विधवा महिला के लिए आर्थिक कठिनाई अत्यंत गंभीर है। अपने बच्चों और परिवार को संभालना इस स्थिति में अत्यंत कठिन एवं दुखदाई रहता है।

राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि महिला एवं पुरुष दोनों को रोजगार के समान अवसर मिले, एक समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, शोषण से बचाया जाए और उन्हें समुचित परिवेश में कार्य करने का अवसर दिया जाए तथा मातृत्व सुविधा भी प्रदान की जाए। कानून तभी सार्थक है जब महिलाओं को इस बात की जानकारी दें कि उनके अधिकार क्या है और उनके अंदर उन कानूनो को अपनाने का आत्मविश्वास जगाएं। भारतीय सरकार की सभी नौकरियों में विधवाओं के आवेदन करने पर उन्हें नौकरी देने में प्राथमिकता देना अति आवश्यक है क्योंकि विकट परिस्थितियों में एक विधवा महिला नौकरी के लिए प्रयास करती है। ऐसी महिलाएं घर पर रहकर खुद परीक्षा की तैयारी करती हैं वह कोचिंग में पढ़ने वाले समर्पित छात्रों से प्रतियोगिता में पिछड जाती हैं। इसलिए भारत सरकार की नौकरी में यदि कोई पात्र विधवा महिला आवेदन करें तो उसे नौकरी देना सुनिश्चित किया जाए। कोई भी विधवा महिला नौकरी से वंचित न रहे। विधवा महिलाओं के लिए कार्यालय में कार्य के घंटे भी कम किए जाए क्योंकि वह अकेली बच्चों, परिवार दफ्तर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, इसलिए उसे खुद के लिए भी थोड़ा वक्त मिले ताकि वह अपने स्वास्थ्य और खुद की इच्छाओं की पूर्ति भी कर सके व खुशी–खुशी अपनी जिम्मेदारियां संभाले। समाज को चाहिए कि वह इन महिलाओं द्वारा संपन्न अदृश्य एवं अवैतनिक कार्यों की भी कीमत समझे एवं उसका सम्मान करें।

सदियों से चले आ रहे रीति–रिवाज और परंपराओं से आज की नारी मुक्ति नहीं ले पाई है। यह सत्य है की रीति–रिवाज को तोड़ना और परंपराओं को पार करना सरल नहीं है, इनके बंधन व्यक्ति के मनोबल और साहस को तोड़ देते हैं। आज की आधुनिक भारतीय नारी रीति–रिवाज और बंधन में जकड़ी समस्याओं से जूझती है, लेकिन इन समस्याओं का कोई समाधान समाज के बनाए गए किसी भी कानून के पास नहीं है। भारतीय समाज में नारी से संबंध रखने वाली विशेष समस्याओं में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा भी मुख्य है।

आर्थिक कार्य विशेष कर विधवा एवं दुखी महिलाओं के लिए वरदान के रूप में अपने पैरों पर खड़े होने का मनोरथ संजोते है। विश्व में 6 करोड़ परिवारों में मूल परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा आर्थिक योगदान कर रही हैं। शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत और ग्रामीण में 90 प्रतिशत अकुशल मजदूर महिलाएं ही हैं। एक सशक्त महिला को स्वयं पर गर्व होता है और उसे अपने महिला होने पर खुशी भी होती है। एक सशक्त महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और उसे यह ज्ञान होता है कि वह अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र है और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है। भाषा, वृत्ति एवं प्रथाओं के अंदर छुपी हुई लिंगभेद जनित पूर्वाग्रहों के प्रति वह जागरूक रहती है। वह बुद्धिमता पूर्ण रीति से उनका जवाब देती है।

विकास की अवधारणा का झुकाव समानता की ओर कल्याण की भावना की तुलना में अधिक है। विकास की योजनाएं हमारे समाज की अधिकांश महिलाओं के जीवन में तब तक बदलाव नहीं ला सकती जब तक की महिलाओं के प्रति असमानता के मुद्दे का हल नहीं खोज लिया जाता है। पोषण–आहार, शुद्ध जल,

प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्राथमिकता नहीं हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिला के लिए संघर्ष का विषय तथा प्राथमिकता हैं। विधवा महिला के लिए भी पोषक आहार, शुद्ध जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, रहने के लिए जगह, शिक्षा, नौकरी, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राथमिकता है। उनके जीवन में कोई सार्थक बदलाव तभी आ सकता है जब विकास योजनाएं इन सभी मुद्दों को उठाए और उनका समाधान करें। तभी भारत में विधवा महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। सशक्तिकरण की सफलता तभी संभव है जब इस दिशा में सार्थक व महत्वपूर्ण प्रयास किए जाए। समाज और सरकार राजनीतिज्ञ और प्रशासन को संवेदनशील बनाना होगा। इसके अभाव में वैधव्य से उत्पन्न चुनौतियों का निराकरण असंभव है। यदि विधवा महिला अपने परिवार और समाज से संपूर्ण सम्मान प्रेम और सहयोग प्राप्त करती है तो वह महिला अपने जीवन के संध्या काल तक गरिमायुक्त रह सकती है एवं अपने अनुभवों की प्रज्ञा से समाज की सेवा भी कर सकती है। विधवा महिलाओं को अपना आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक भाव भरने का प्रयत्न करना चाहिए, अपनी भौतिक व कार्मिक योग्यताओं का विकास करना चाहिए तथा ध्यान व अभ्यास द्वारा आध्यात्मिकता के अध्ययन तथा अभ्यास से शक्तियों को संचित भी करनी चाहिए।

विधवा महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। सशक्त महिला जागरूक होती है और अपने अधिकारों के लिए कदम उठाती है। जागरूकता को वह अपने कर्मों में उतार लेती है तो वह स्वयं शक्ति का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। महिला सशक्तिकरण का सपना तभी पूरा होगा जब बड़े पैमाने पर समाज की हर वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाए। समाज की हर महिला शिक्षक जागरूक और विवेकशील बने उन्हें एक बार रुक कर संकोच व शंका त्याग कर विचार अवश्य करना चाहिए। जहां सामाजिक समस्याओं का उचित समाधान मौजूद हो, वह महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, जहां महिला को शांति एवं सम्मान का जीवन गुजारने का अवसर व अधिकार मिले, जो उसके स्वयं के लिए और समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय समाज में नई दशा एवं दिशा, डॉक्टर आलोक कुमार कश्यप, पृष्ठ 50
2. भारतीय महिलाएं शोषण उत्पीड़न एवं अधिकार, कमलेश कुमार गुप्ता, पृष्ठ 51
3. वही, पृष्ठ 61
4. आर्थिक विकास और स्वातंर्त्य अमर्त्य सेन, पृष्ठ 207
5. नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण, चितरंजन ओझा
6. मनुस्मृति, 3—56
7. महिला विकास एवं परिदृश्य, स्वप्निल सारस्वत, पृष्ठ संख्या 30, 31

❑❑❑